संख्या-6/2017-2453/चौदह-4-2016-3/2017

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 21फरवरी: 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-60-आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत रू0 61.00 लाख की स्वीक़ति पुनर्विनियोग के माध्यम से जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-ब-63/21-5(1)/2016-17, दिनांक: 06.10.2016 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 मे निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या–60 के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2406-01-001-04-03-मंहगाई भत्ते में हो रही बचतों में से अनुदान संख्या-60-लेखाशीर्षक-2406-01-001-04-16-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के अन्तर्गत रू0 61.00 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोजन आदेश संख्या-2453ए/चौदह-4-2016-3/2017 दिनांक, 17 फरवरी, 2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोजित धनराशि रू0 61.00 लाख (रू0 इक्सठ लाख मात्र) जो निम्न लेखाशीर्षकों के सम्मुख अंकित है, को पुनर्विनियोजन के पश्चात व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
1	2
अनुदान संख्या-60-	
राजस्व लेखा-	
2406-वानिकी तथा वन्य जीव-आयोजनेत्तर	
01-वानिकी-	
001-निदेशन तथा प्रशासन	
04-अधिष्ठान	
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2000000
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	4100000
योगः-	6100000

(रू0 इक्सठ लाख मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/ सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किया जाय। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनादेश संख्या- सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक

http://shasanadesh.up.nic.in

26-10-2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृति तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नये मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही किया जा सकेगा।

5- अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग मासिक आधार पर अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराई जाय और स्वीकृतियॉ/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जाये। कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

6- योजना में व्यय अनुमोदित व्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

8- अनुमोदन/संशोधन की प्रत्याशा में कोई भी अनाधिकृत कार्य कदापि न किया जाय।

9- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रश्नगत मद में नियमानुसार व्यय तथा बचत की धनराशि सुनिश्चित करेंगे।

10- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अत: स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी.ए.-1191/दस-2009-मित-एक/2007 दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

11- स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06.10.2016 में उल्लिखित कार्य मदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-78/दस-2017 दिनांक 17.02.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

संख्या-2453(1)/ चौदह-4-2016-03/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) चतुर्थ तल हाल नं0-2, आडिट भवन टी0सी0 35, वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
5- नियोजन अनुभाग-3
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

http://shasanadesh.up.nic.in

8- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।

9- अनुभागीय ओदश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in